

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श10, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने तथा बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके बावजूद श्री छेदीराम सुल्तानियाँ पे0 श्री जेमचन्द्र सुल्तानियाँ सा0 पुरैनी थाना पुरैनी जिला मधेपुरा द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 255/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-17(पुरैनी थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण अब तक समर्पित नहीं किया गया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन है। वहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श10, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष, पुरैनी के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 134 दिनांक 19-03-14 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री छेदीराम सुल्तानियाँ द्वारा पुनः भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। थानाध्यक्ष, पुरैनी ने अपने पत्रांक 286/14 दिनांक 22.03.14 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अनुज्ञप्तिधारी 15-16 वर्षों से मुम्बई में रहते हैं। इनका शस्त्र बिक्री हो चुका है एवं वर्तमान में अनुज्ञप्ति शस्त्र विहीन है। ऐसी स्थिति में इनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतएव थानाध्यक्ष, पुरैनी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17(3) के अन्तर्गत श्री छेदीराम सुल्तानियाँ पे0 श्री जेमचन्द्र सुल्तानियाँ सा0 पुरैनी थाना पुरैनी जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-17(पुरैनी थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है। उक्त आदेश का तामिला थानाध्यक्ष, पुरैनी अपने स्तर से भी अनुज्ञप्तिधारी को कशायें एवं उनके पारितारिक अन्य सदस्यगण से अनुज्ञप्तिधारी के रहनेवाले स्थान का पूरा पता प्राप्त कर शीघ्र संसूचित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे कार्यालय में संघारित अनुज्ञप्ति पंजी में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे। मूल अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त होने पर उसमें भी इस आशय की सूचना प्रवृष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह/—

जिला दंडाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....220...../विधि, मधेपुरा, दिनांक.....22-4-14.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, पुरैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री छेदीराम सुल्तानियाँ पे0 श्री जेमचन्द्र सुल्तानियाँ सा0 पुरैनी थाना पुरैनी जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22/04/14

जिला दंडाधिकारी,  
मधेपुरा।